फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 200 फरवरी 2005

कहत कबीर
मन के रोग
तन की बीमारियाँ
भी लिये हैं।

कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकर क्या-क्या कर सकते हैं

—अत्याधिक काम। प्रतिदिन अत्याधिक समय तक काम। अधिकाधिक असुरक्षा वाली स्थितियों में काम। तेजी से घटता वेतन। तनखा मिलने में बढती अनिश्चितता। सम्बन्धों में बढती कड़वाहट। तन व मन का बढती जलालत से रूबरू होना। बीस-बाइस वर्ष आयु वाले चार-छह महीने बाद नये सिरे से काम-धन्धा तलाशने को मजबूर। 35-40 साल के लोग नाकारा की श्रेणी में धकेले जा रहे हैं।

इस वर्तमान में नजर आता निकट भविष्य और भी भयावह है। हालात को बदलना ही होगा।

—फैक्ट्री-पद्धति प्रकृति विरोधी, जीव विरोधी, मानवद्रोही है। मजदूर अभिन्न अंग हैं फैक्ट्री के — बिना मजदूरों के फैक्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन फैक्ट्री-पद्धति और इसके विनाशकारी चरित्र पर निशाना साधे बिना हम मात्र "बेहतर" स्थितियों के दायरे में सिकुड़ जाते हैं और नतीजे बेहद दुखद हैं। फैक्ट्री का व्यक्ति-विशेष से कोई लेना-देना नहीं है — व्यक्ति मात्र प्रयोग/उपयोग/फायदेमन्द/नाकारा/नुकसानदेह की श्रेणियों में डगमगाते रहते हैं।

स्वंय को ऐसे में मात्र मजदूर के तौर पर देखना, स्वयं को मजदूर के तौर पर बनाये रखना हमारे लिये अमानवीयता की कोई सीमा नहीं छोड़ता। मजदूरों द्वारा स्वंय को मनुष्यों के तौर पर अधिकाधिक देखना ही स्वंय फैक्ट्री-पद्धति पर सवाल उठाना लिये है।

— लोगों की सहमति के बिना कोई फैक्ट्री/कम्पनी/सरकार/व्यवस्था चल नहीं सकती। वफादारी के बिना कोई फैक्ट्री चल नहीं सकती। स्वयं को धोखा दे कर साहबों को सहमति देने वाली स्थाई मजदूरों की "अपनी कम्पनी" वाली बातें हवाई हो गई हैं/हो रही हैं। दुनियाँ-भर में स्थाई मजदूरों की सँख्या ही सिकुड़ती जा रही है — अमरीका में सबसे बड़ी नियोक्ता कम्पनी टेम्परेरी वरकर सप्लाई करने वाली कम्पनी बन गई है।

जरूरत पर भर्ती और जरूरत नहीं रहने पर निकाल दिये जाने वाले कैजुअल तथा ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों को बेचारे कहने, असहाय पेश करने का रिवाज है जबकि किसी भी फैक्ट्री/कम्पनी के लिये रत्ती-भर लगाव से भी परहेज इन मजदूरों के जीवन में मुखर है। दो महीने यहाँ—छह महीने वहाँ खटते मजदूरों में आज इस-कल उस—परसों तस कम्पनी के प्रति वफादारी पैदा करना सम्भव ही नहीं है। और, मात्र डर से ज्यादा समय तक यह सब चल नहीं सकता।

—"कैसे बदलें इस माहौल को?" हमारी कोशिशों का केन्द्र है। इसलिये इस—उस फैक्ट्री में कुछ राहत की बजाय हालात को बदलना जिनकी तत्काल आवश्यकता है उन कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकरों द्वारा उठाये जाते/उठाये जा सकते कदमों पर हम यह चर्चा आरम्भ कर रहे हैं। इस सिलसिले में अपने अनुभवों और विचारों को हमारे साथ साँझा कर आइये आदान-प्रदानों को और बढायें। (जारी)

मण्डी के समुद्र में कागज की नाव हैं कम्पनियाँ

मण्डी-मुद्रा-फैक्ट्री पद्धति की जीवनक्रिया ने होड़ को इस कदर गला काट बना दिया है कि बढती सँख्या में कम्पनियाँ अक्षम होती जा रही हैं। अपने सुरक्षा कवचों को त्यागने/झीना करने को मजबूर कम्पनियाँ स्वयं डगमग हैं। ऐसे में कम्पनी को अजेय मानना भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। यह कम्पनियों की कमजोरियाँ हैं कि बढती सँख्या में कम्पनियाँ :

- समय पर वेतन नहीं दे रही
- न्यूनतम वेतन से कम वेतन दे रही हैं
- प्रतिदिन 8 घण्टे से अधिक समय काम करवा रही हैं
- साप्ताहिक छुट्टी नहीं दे रही, त्यौहारी छुट्टियाँ नहीं दे रही
- स्थाई मजदूरों की सँख्या घटा रही हैं
- रिकार्ड में मजदूर को दिखाती ही नहीं
- सुरक्षा के न्यूनतम प्रबन्ध भी नहीं कर रही
- हैल्पर से ऑपरेटर का काम करवाती हैं
- बीच-बीच में चाय, पानी, पेशाब के लिये समय नहीं दे रही
- एग्जास्ट फैन तक नहीं लगा रही
- जूते, दस्ताने, मास्क, चश्मे नहीं दे रही
- परिवहन का प्रबन्ध नहीं कर रही
- उपहार नहीं दे रही, बीमारी-एक्सीडेन्ट की स्थिति में आर्थिक व अन्य सहायता नहीं दे रही
- प्राथमिक उपचार के साधन और एम्बुलैन्स नहीं मुहैया करवा रही
- कैन्टीन नहीं, वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं, वर्दी नहीं, एडवान्स नहीं...
- चेयरमैन-डायरेक्टरों-मैनेजरों द्वारा बढते पैमाने पर कम्पनी की चोरी नहीं रोक पा रही
- रिटायरमेन्ट पर ग्रेच्युटी तक नहीं दे पा रही.... दे पा रही

कम्पनियों की ही तरह सरकारों को भी वर्तमान व्यवस्था के संकट ने इस कदर कमजोर कर दिया है कि हर सरकार के क्षेत्राधिकार में उसके कानूनों का बढ़ते पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। लोगों द्वारा की जाती शिकायतों में से अधिकाधिक का निवारण सरकारें नहीं कर पा रही।

कम्पनियों और सरकारों की बढती अक्षमता मजदूरों/सामान्यजनों के लिये बढती असुरक्षा लिये है। व्यवस्था परिवर्तन के लिये यह एक पुकार है।

युवा मजदूर

जी. ई. मोटर मजदूर : "सैक्टर-11 स्थित फैक्ट्री में ट्रेनी का चक्रव्यूह रच कर कम्पनी ने मजदूरों को निचोड़ने का प्रबन्ध किया हुआ है। आई.टी.आई. व अप्रेन्टिसशिप किये के लिये ट्रेनी के तीन चरण हैं : पहले 6 महीने, फिर डेढ साल और फिर एक वर्ष। बहुत दबाव में ट्रेनी को काम करना पड़ता है — एक ट्रेनी से दो वरकर का काम करवाते हैं। तीन वर्ष निचोड़ने के बाद अधिकतर को इन्टरव्यू में फेल कर देते हैं। इन्टरव्यू में निकालने के बाद कुछ को ग्लोबल ठेकेदार के जरिये फैक्ट्री में रख लेते हैं।

"जी.ई. मोटर में तीन शिफ्ट में 1200 मजदूर काम करते हैं। फैक्ट्री में कैन्टीन है पर भोजन 14 रुपये में — ट्रेनी को 2300 रुपये महीना देते हैं जिसमें खा सकते हैं या (बाकी पेज तीन पर)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद—121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

-दरारें.... नहीं चाहिये विकास (पेज चार का शेष)

बचत- बचत के लिये काम- काम हर समय हमारे तन-मन पर हावी रहेगा तो हम सुकून से भोजन, गीत- संगीत- नृत्य और खुशी कब मनायेंगे?

■1993 में सर्वेक्षण के लिये पहुँचे दल के यन्त्र लोगों ने छीन लिये और सर्वेक्षण नहीं होने दिया। पुलिस द्वारा 23.4.94 को दो प्रतिरोधी गिरफ्तार करने पर सैंकड़ों स्त्री- पुरुषों ने थाने पर हमला बोला और उन्हें मुक्त किया। जनता ने 1997 में पुलिस और कम्पनी अधिकारियों के क्षेत्र में प्रवेश को रोक दिया। पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। दिसम्बर 98- जनवरी 99 में प्रोजेक्ट- विरोधी आन्दोलनों में तालमेल बढाने के लिये सामुहिक पदयात्रा। कम्पनी द्वारा प्रायोजित एन.जी.ओ. ने स्वास्थ्य शिविर, पौधा रोपण, बीज वितरण, सड़क निर्माण आरम्भ किये तो जनता ने हर कदम पर विरोध किया। हैलिकॉप्टर उतारने के लिये स्थान के निर्माण को 13 मई 2000 को सैंकड़ों लोगों ने पारम्परिक हथियारों से लैस हो कर रोक दिया। कम्पनी द्वारा बनाई सड़क और पुलियाँ तोड़ते हुये 17 मई 2000 को 3000 लोगों का समूह कह रहा था कि **सड़कें शोषण की एक राह हैं।** हजारों लोगों ने कम्पनी की पौधशाला पर आक्रमण कर 50,000 पौध नष्ट की। इस सब के दौरान लोग हर रोज कम्पनी के गुण्डों और पुलिस से मुकाबला करते रहे। अप्रैल 2000 तक निर्माण की एक ईंट तक नहीं रख सकी उत्कल अल्युमिना इन्टरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में प्रथम चरण में पराजय मानी।

हमें क्षतिपूर्ति ही नहीं चाहिये। मात्रा की बात मत करो। हम अपनी धरती खदान- फैक्ट्री- कम्पनी के लिये नहीं छोड़ेंगे। पुनर्वास की बात मत करो।

■एक तरफ जनता खान- फैक्ट्री स्थापना के विरोध में और दूसरी तरफ नेता कम्पनी के पक्ष में सक्रिय। प्रोजेक्ट रद्द करवाने के लिये जनता ने 20 दिसम्बर 2000 को सड़क बन्द कार्यक्रम रखा तो प्रान्त की शासक पार्टी के नेताओं ने 15 दिसम्बर को क्षेत्र के एक गाँव में कम्पनी के पक्ष में सभा करने का ऐलान किया। जनता ने नेताओं की जीपें रोक दी। इस पर 16 दिसम्बर को राज्य सशस्त्र पुलिस की दो प्लाटून व अन्य पुलिस अधिकारियों के संग मजिस्ट्रेट वहाँ पहुँचा। पुरुष इधर- उधर हो गये। स्त्रियों को हड़काती पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई। एक वृद्धा के बेहोश होने पर मचे शोर पर पुरुष चारों तरफ से आये तो पुलिस ने गोलियाँ चलाई। तीन लोग मारे गये और 30 अन्य को गोलियाँ लगी। शासक पार्टी ने 17 दिसम्बर को विजय दिवस मनाया.... 20 दिसम्बर 2000 को 8000 लोगों ने रायगडा- कोरापुट सड़क बन्द की।

जल, जमीन, वायु में जहर घोल रही हैं खदानें- फैक्ट्रियाँ। रुपये- पैसे, मण्डी और होड़ मनुष्यों में जहर घोल रहे हैं। मण्डी-फैक्ट्री की स्थापना- विस्तार राष्ट्रीय मुख्यधारा, अन्तरराष्ट्रीय मुख्यधारा है।

■क्षेत्र में दूसरे प्रोजेक्ट का पता जनता को 1995 में लगा और सर्वेक्षण के समय ही लोगों ने हिंसक विरोध किया। कम्पनी 1998 से चुप है। तीसरे प्रोजेक्ट का पता जनता को 1998 में लगा। सर्वेक्षण के समय ही लोगों ने विरोध किया – कम्पनी चुप है। बाल्को- स्टरलाइट कम्पनी जन विरोध के कारण सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं कर पाई है और 1.2.04 को कम्पनी ने जबरन एक बस्ती ढहा दी। थाने के निकट 2.4.04 को जनता पर हमला किया गया। भारी पुलिस बल के साथ 8.6.04 को मुख्यमंत्री ने नींव का पत्थर रखा.... 10 जून को लोगों ने उसे तोड़ दिया और पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की।

जीवन और जीवनयापन के साधनों की रक्षा के लिये उड़ीसा में ही इन बीस वर्षों में जनता ने बलियापाल, गन्धमर्दन, चिल्का, इन्द्रावती, कोटगढ, लखारी... में आवाज उठाई है। विगत में हीराकुड हाइड्रो- इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का विरोध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक प्रसन्न पाण्डा ने किया था पर उनकी पार्टी ने ही प्रान्तीय व केन्द्रीय स्तर पर उनका समर्थन नहीं किया। स्टरलाइट कम्पनी का तमिलनाडू में टूटीकोरिन स्थित कॉपर प्रोजेक्ट जन विरोध के कारण बन्द....

■दिसम्बर 04 में राज्य सरकार ने तीन मजिस्ट्रेटों के संग पुलिस और अर्ध- सैनिक बल काशीपुर ब्लॉक में तैनात किये। रात को गोली चलाने की खुली छूट। दिन में एक तरफ कम्पनी के अधिकारी भारी पुलिस के संग और दूसरी तरफ जनता। जन विरोध ने कम्पनी को खनन क्षेत्र और फैक्ट्री स्थान के बीच सड़क भी नहीं बनाने दी है। एक माह में दूसरी बार स्त्रियाँ पुलिस के सामने डटी। विभिन्न मामले बना कर लोग गिरफ्तार किये जा रहे हैं – एक में जमानत पर दूसरा मामला थोप दिया जाता है। ऐसे में पहली दिसम्बर से गिरफ्तार लोग जनवरी- मध्य तक जेल से बाहर नहीं आ पाये हैं। जमानतियों को स्वयं जज धमका रहा है और पैरवी करने वाले को पुलिस बन्द करने की धमकी दे रही है।

क्षेत्र के निवासियों तथा उनकी बोली को असभ्य घोषित कर उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिये एक स्टैन्डर्ड भाषा और विद्यालयों का चक्रव्यूह रचा गया है पर क्षेत्र में बची- खुची समुदाय प्रणाली ने विद्यालय, अध्यापक, विद्यार्थियों को वास्तव में शून्य- सा कर रखा है।

(एक मित्र के जरिये जानकारी हमें "प्राकृतिक सम्पदा सुरक्षा परिषद" से मिली है।)

नहीं दी तनखा

दिसम्बर 04 का वेतन कानून अनुसार 7 जनवरी 05 से पहले 1000 से कम मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में देना था।

उषा इण्डिया, 12/1 मथुरा रोड़, में अक्टूबर की तनखा 20 दिसम्बर को, नवम्बर व दिसम्बर की तनखायें 9 जनवरी तक नहीं – दो विभाग बन्द कर लोगों को जबरन निकाल दिया, फैक्ट्री में काम करते 800 में से 281 लोग ही बचे हैं; **अमर इंजिनियरिंग,** 5 सै- 24, में दिसम्बर की तनखा 19 जनवरी तक नहीं – हैल्पर की तनखा 1500- 1700 रुपये महीना; **सिकन्द लिमिटेड,** 61 इन्ड. एरिया, नवम्बर की तनखा 25 दिसम्बर को दी थी, दिसम्बर का वेतन 15 जनवरी तक नहीं; **शिवालिक ग्लोबल,** 12/6 मथुरा रोड़, में दिसम्बर की तनखा 19 जनवरी तक नहीं; **प्रेस लाइन,** 262 डी सै- 24, में नवम्बर और दिसम्बर की तनखायें 8 जनवरी तक नहीं; **ओरियन्ट स्टील** 20/1 मथुरा रोड़, में नवम्बर का वेतन 28 दिसम्बर को दिया था, दिसम्बर की तनखा 14 जनवरी तक नहीं; **नूकेम केमिकल डिव,** 54 इन्ड. एरिया, में दिसम्बर का वेतन 15 जनवरी तक नहीं; **नैपको गियर,** 20/4 मथुरा रोड़, में दिसम्बर की तनखा 18 जनवरी तक नहीं – ऑपरेटर को हैल्पर ग्रेड;...

न्यूनतम से कम वेतन

हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा अकुशल मजदूर–हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी पर 87 रुपये 16 पैसे और महीने में 4 छुट्टी पर 2269 रुपये 45 पैसे। यह कम से कम तनखायें हैं और 1 जुलाई 04 से लागू हैं।

आर.बी.एम., 21/4 मथुरा रोड़, में हैल्पर की तनखा 1500 रुपये महीना – रोज 11½घण्टे ड्युटी और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **एस्कोर्ट्स,** प्लान्ट 2 व 3 सै- 13, में ट्रैक्टरों को फैक्ट्री से बाहर लाते, ट्रक पर लोड करते, गोदाम पहुँचाते ड्राइवरों की तनखा 1800 रुपये महीना; **सुमीत इंजिनियरिंग,** 219 सै- 24, में हैल्पर की तनखा 1500 रुपये महीना, रोज 12 घण्टे ड्युटी और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **लोटस इन्डस्ट्रीज,** 46 सै- 6, में कैजुअल वरकर की तनखा 1700 रुपये महीना, साप्ताहिक छुट्टी नहीं, ड्युटी 12 घण्टे और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **स्टार वायर,** 21/1 मथुरा रोड़, में अधिकतर मजदूर 45 ठेकेदारों के जरिये– हैल्परों की तनखा 1600- 1700 रुपये महीना, ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं, ड्युटी 12 घण्टे रोज; **जी.एस.एस. सेक्युरिटी,** 51 सै- 4 कार्यालय, सेक्युरिटी गार्ड को 12 घण्टे रोज ड्युटी और महीने के तीसों दिन पर 1800 रुपये – इन 1800 में से ई.एस.आई. व पी.एफ काट कर गार्ड के हाथ में 1540 रुपये; **आईबैट्स** 13/1 मथुरा रोड़, में महिला मजदूरों को 1600- 1800 रुपये महीना तनखा, मैनेजर गाली देता है;....

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी फरीदाबाद--121001

थोड़ा रुक कर

विजय इंजिनियरिंग मजदूर : " प्लॉट 165-66 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 8-10 स्थाई, 15-16 कैजुअल और 125 डेली वेज वरकर हैं। डेली वेज वालों को 72 रुपये रोज के हिसाब से तनखा महीने में ही देते हैं। कैजुअल और डेली वेज में फर्क मात्र इतना है कि डेली वेज से हर रोज गेट पर हस्ताक्षर करवाते हैं आया वो उसी दिन लगे हों।"

सबरोस वरकर : "प्लॉट 45 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में 80 स्थाई, 10 कैजुअल और 110 डेली वेज वरकर हैं। कैजुअल-डेलीवेज की तनखा 1800 रुपये महीना। डेली की कैटेगरी छापे के समय हेराफेरी के लिये है। फैक्ट्री में 12 घण्टे की ड्युटी है।"

सेक्युरिटी गार्ड : " दिल्ली में सी-146 लाजपतनगर पार्ट-1 में मुख्यालय वाली **प्रिमियर सेक्युरिटी** कम्पनी ने भविष्य निधि राशि वेतन के 12 प्रतिशत की बजाय 6 प्रतिशत ही रखी है। जुलाई 04 से देय डी.ए. के पैसे कम्पनी नहीं दे रही। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देती है।"

नागपाल इन्डस्ट्रीज मजदूर : "प्लॉट 65 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्पर को 1500 रुपये महीना तनखा। दो मिनट की देरी पर आधे घण्टे के पैसे काट लेते हैं। रोज दो घण्टे ओवर टाइम – स्थाई को सवा की दर से और कैजुअल को सिंगल रेट से इसके पैसे। कैजुअलों की ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं। फैक्ट्री में पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है और मैनेजिंग डायरेक्टर गाली देता है।"

साधु ओवरसीज वरकर : "प्लॉट 127 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। एक कप चाय तक कम्पनी 12 घण्टे में नहीं देती। लैट्रीन-बाथरूम बहुत-ही गन्दे रहते हैं। इधर सी एन सी विभाग में एक औजार टूटने पर कम्पनी ने दिसम्बर की तनखा में से विभाग के प्रत्येक वरकर के 500 रुपये काट लिये हैं।"

सुपर फाइबर मजदूर : "प्लॉट 57 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में 10½ घण्टे रोज ड्युटी और महीने में कोई छुट्टी नहीं। तीस दिन 10½ घण्टे रोज पर 2000-2400 रुपये। हर महीने एक-दो दिहाड़ी हेराफेरी से खा भी जाते हैं।"

हिन्दुस्तान सिल्क मिल वरकर : "प्लॉट 157 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में जो हैल्पर हैं उन्हें ठेकेदार के जरिये रखे गार्ड दिखाते हैं और उन से रोज 11 घण्टे काम करवाते हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। श्रम विभाग में शिकायत – अधिकारी यहाँ साहबों से मिल कर चले जाते हैं, मजदूरों से बात नहीं करते।"

फरीदाबाद फोरजिंग मजदूर : " प्लॉट 154 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में नवम्बर माह का भी आधा वेतन 11 जनवरी को जा कर दिया। फैक्ट्री में 45 लोग काम करते हैं पर रिकार्ड में 12 ही दिखाये हैं। काम नहीं होता तो वापस भेज देते हैं अन्यथा कम्पनी में 16 घण्टे की एक शिफ्ट है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से – नवम्बर के यह पैसे फरवरी में देंगे। जब 16 घण्टे से ज्यादा रोकते हैं तब ढाबे की 4 रोटी और एक दाल देते हैं। मैनेजर गाली देता है और मैनेजिंग डायरेक्टर 6 महीने में नई गाड़ी ले लेता है।"

क्लच आटो वरकर : "12/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में थोड़े-थोड़े कर तनखा देती कम्पनी ने दिसम्बर की तनखा आज 19 जनवरी तक देनी भी शुरू नहीं की है। इधर निर्धारित उत्पादन से बहुत अधिक उत्पादन देने को कम्पनी ने कहा और एतराज पर 18 जनवरी को दो विभागों की ले-ऑफ लगा दी।"

ग्राइन्डवैल मजदूर : "प्लॉट 56 बी/2 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में हैल्पर की तनखा 1600 रुपये महीना – ई.एस. आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। रोज 10½ घण्टे ड्युटी – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और अक्टूबर-नवम्बर-दिसम्बर के यह पैसे आज 15 जनवरी तक नहीं दिये हैं।"

बोनी पोलिमर वरकर : " प्लॉट 77 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में रोज 14 घण्टे काम करवाते हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। रात 10 बजे बाद रोकते हैं तब 30 रुपये भोजन के देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी ओवर टाइम रहता है।"

सुरभि इंजिनियरिंग मजदूर : "प्लॉट 318 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार ग्लोब कम्पनी के जरिये रखे हैल्परों को 1450 रुपये महीना तनखा देते हैं। फैक्ट्री में रोज 12 घण्टे की ड्युटी है – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। साइकिलें फैक्ट्री के बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं और चोरी होने पर कम्पनी जिम्मेदारी नहीं लेती।"

बी पी एल वरकर : " 13/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री पर अब 5 **स्टार** का बोर्ड है – पहले नाम **जीत प्रिन्ट्स** था। डाइंग-प्रिन्टिंग का काम करते हैल्परों को 12 घण्टे रोज काम पर तीस दिन के 1800 रुपये देते हैं – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। नवम्बर का वेतन 27-28 दिसम्बर को जा कर दिया था। दिसम्बर की तनखा आज 13 जनवरी तक नहीं दी है।"

जाह्नवी डाइंग मजदूर : "14/7 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं – रविवार छुट्टी। हैल्पर को 12 घण्टे रोज पर महीने के 2200 और ऑपरेटर को 3000 रुपये। दिसम्बर का वेतन आज 18 जनवरी तक नहीं दिया है।"

गुड़गाँव से -

कादमी टूल्स मजदूर : " 118 उद्योग विहार फेज-1 स्थित फैक्ट्री गेट पर 24.7.97 को यूनियन का झण्डा लगा और उसी दिन मैनेजमेन्ट ने 9 वरकरों का गेट रोक दिया। इसकी शिवाजी नगर स्थित श्रम विभाग में शिकायत की। अगस्त 97 में फैक्ट्री गेट पर बैठते बाहर किये मजदूरों पर कम्पनी ने गुण्डों से हमला करवाया। पुलिस में शिकायत – कोई कार्रवाई नहीं। अक्टूबर 97 में प्रधान पैसे ले कर चला गया और कम्पनी ने गेट से यूनियन झण्डा उतार दिया।

" गुड़गाँव श्रम विभाग में 1½ साल हमारा मामला लेबर इन्सपैक्टर, श्रम अधिकारी, डी एल सी के सम्मुख रहा। फिर एक साल चण्डीगढ। रेफर हो कर सन् 2000 से मामला श्रम न्यायालय, सैक्टर-14, गुड़गाँव में है। यूनियन का केन्द्रीय नेता तारीख पर नहीं पहुँचता था इसलिये हम ने वकील कर लिया – हम में से 3 हिसाब भी ले गये। इधर 18.11.04 तक 18 तारीख पड़ चुकी हैं और 19वीं तारीख 18.8.05 को है पर अब तक न तो किसी मजदूर की गवाही हुई है और न ही कम्पनी की।

" तीन साल से जज ने फाइल नहीं देखी है। दो तारीख तो जज की बदली होने और नया नहीं आने के कारण लगी। तीन बार से तो मात्र 100 रुपये कॉस्ट भर कर कम्पनी तारीख ले लेती है – आवाज लगने पर जज के पास फाइल जाने से पहले ही लम्बी तारीख लगा देते हैं। कम्पनी हर तारीख पर हमें कहती है कि ड्युटी पर नहीं लेगी, हिसाब ले लो। जल्दी करने की कहने पर श्रम न्यायालय वाले कहते हैं कि जल्दी कैसे कर सकते हैं? गुड़गाँव लेबर कोर्ट में 7200 केस हैं – एक दिन में 70-100-150 की तारीख रहती है। एक जज है ...."

युवा मजदूर.. (पेज एक का शेष)

रह सकते हैं। सुरक्षा के नाम पर फैक्ट्री में प्लास्टिक चश्मा लगाना अनिवार्य कर रखा है – धुंधला दिखाते प्लास्टिक से आँखें खराब होती हैं। काम के दौरान खरोच आदि से चश्मा और खराब हो जाता है पर कम्पनी तब भी बदलती नहीं – मजदूर अपने 32 रुपये दे तब कम्पनी चश्मा बदलती है। ट्रेनी को उसके आई. टी.आई. विषय वाले कार्य में नहीं बल्कि कहीं भी लगा देते हैं।"

एस्कोर्ट्स वरकर : " स्थाई मजदूरों के बैंक खातों में बोनस राशि जमा करने वाली कम्पनी हम कैजुअल वरकरों को बोनस दे ही नहीं रही – कार्मिक विभाग में पूछने पर कुछ बताते ही नहीं। हमारी भविष्य निधि राशि में गड़बड़ी की भी बातें हैं – चर्चा है कि 6 महीने से पहले ब्रेक पर फण्ड डबल की बजाय सिंगल देंगे। इधर फार्मट्रैक प्लान्ट से बड़े पैमाने पर कैजुअल वरकर निकाल दिये हैं – पेन्टशॉप में 90 कैजुअल थे पर अब 35 हैं। धमका कर कम्पनी कैजुअल वरकरों से दुगना काम करवाना चाहती है।"

शरद मैटल मजदूर : " प्लॉट 45 सोहना रोड़, सैक्टर-23 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की शिफ्टों में काम करना पड़ता है। लगातार खड़े-खड़े काम करना पड़ता है और काम का बोझ बहुत ज्यादा है। कभी भी ब्रेक कर निकाल देते हैं। ओवर टाइम के पैसे डबल की बजाय सिंगल रेट से देते हैं।"

दिल्ली से–

8 घण्टे की ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी पर दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई 04 से निर्धारित कम से कम तनखा हैल्पर के लिये 2863 रुपये और कारीगर के लिये 3287 रुपये महीना है।

आनन्द इन्टरनेशनल मजदूर : " प्लॉट ए- 185 ओखला फेज- 1 स्थित फैक्ट्री में काम करते 600 मजदूरों में से 50- 60 ही स्थाई हैं और सिर्फ स्थाई के ई.एस.आई. व पी.एफ. हैं। फैक्ट्री में 12 घण्टे की एक शिफ्ट है – सुबह 9 से रात 9 बजे तक। रात 9 बजे बाद रोकते हैं तब 20 रुपये भोजन के देते हैं। हैल्पर को 12 घण्टे रोज काम के बदले महीने में 2863 रुपये देते हैं। टारगेट पूरा नहीं होने पर कारीगरों के पैसे काट लेते हैं। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है – पहले जहाँ बैठ कर भोजन करते थे वहाँ भी कम्पनी ने मशीनें लगा दी हैं। आनन्द इन्टरनेशनल की 5 फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें 5 हजार से ज्यादा मजदूर हैं। सन् 2002 में पाँचों फैक्ट्रियों के कारीगरों ने आपस में तालमेल कायम करके एक दिन हड़ताल की तब कम्पनी ने कारीगर की रेट 14 रुपये प्रति घण्टा से 15 रुपये प्रति घण्टा की। इधर दिसम्बर 04 में आनन्द इन्टरनेशनल की पाँचों फैक्ट्रियों में हम कारीगरों ने फिर एक दिन हड़ताल की तब कम्पनी ने रेट 15 से 15½ रुपये प्रति घण्टा किया है। **दोनों बार की हड़ताल में कोई नेता नहीं था - दोनों बार आनन्द इन्टरनेशनल की पाँच फैक्ट्रियों के मजदूरों ने आपस में तालमेल कायम कर हड़ताल की।"**

कन्ज्युमर प्रोडक्ट्स वरकर : " 17- 20 डी एस आई डी सी शेड ओखला फेज- 2 स्थित फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। चार रविवार में सिर्फ एक को छुट्टी। फैक्ट्री में 24- 36 घण्टे भी लगातार रोक लेते हैं – 24 घण्टे पर 25 रुपये और 36 घण्टे पर 50 रुपये भोजन के देते हैं। चालू मशीन पर दो बार चाय। कढाई की कम्प्युटरयुक्त स्वचालित मशीन में कोई धागा टूटने पर चलती मशीन में धागा डालना पड़ता है – जरा चूक पर सूई उँगली में। पूरे समय खड़े- खड़े काम करना पड़ता है। अत्याधिक काम से सेहत खराब हो जाती है – बुखार, पेट दर्द, सीने में दर्द, आँख खराब। आठ- दस साल से काम कर रहे 5 लोगों को टी.बी. हो गई – कम्पनी ने उन्हें वैसे ही निकाल दिया, कोई हिसाब नहीं दिया। छोटी- सी बात पर ब्रेक कर देते हैं और चक्कर कटवा कर नई भर्ती करते हैं। भर्ती के समय ही इस्तीफा लिखवा लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि पूरा- पूरा हिसाब ले लिया है! हैल्पर को 1600 रुपये महीना तनखा – मैनेजर के अपने गाँव वाले मजदूरों को भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं। फैक्ट्री में कपड़े की धुलाई वाली हौद के उबलते पानी में गिर कर तीन मजदूर मर चुके हैं। लेबर इन्सपैक्टर को फैक्ट्री में हम मजदूरों ने बरसों से नहीं देखा है।"

पारको ओवरसीज मजदूर : "प्लॉट बी- 134 ओखला फेज- 1 स्थित फैक्ट्री में 600 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं जिनमें से 100 (चैकर, पैकर, धागा काटने वाले, स्पोटर, प्रैसमैन, हैल्पर) को बराये नाम ठेकेदार के जरिये रखा है। हैल्पर को तनखा बताते 2771 हैं और देते 2471 रुपये हैं। ई.एस.आई. व पी.एफ. के नाम पर पैसे काटते हैं पर जमा नहीं करते – निकाल देते हैं तब पी.एफ. से पैसे निकालने का फार्म भरते ही नहीं। तीन- छह महीने वाले कारीगरों का पी. एफ. भी खा जाते हैं। मजदूर लगातार काम करते हैं पर हर तीन महीने में उनका और उनके पिता का नाम बदल देते हैं! फैक्ट्री में कई मजदूर ऐसे हैं जिनसे कहीं हस्ताक्षर नहीं करवाते – कोड नम्बर पर तनखा देते हैं। ओवर टाइम को रिकार्ड में नहीं दिखाते – उसके पैसे भी सिंगल रेट से देते हैं। उत्पादन घण्टे के हिसाब से निर्धारित है और 4- 4 घण्टे लगातार खड़े रहना पड़ता है – चाय नहीं, टी ब्रेक नहीं। पानी/पेशाब के लिये टोकन लेना अनिवार्य कर रखा है। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है – भोजन छत पर। हेराफेरी इस कदर है कि जो बनाते हैं उनमें से भी 100- 200 रुपये हर महीने खा जाते हैं – दस्तखत 2800 पर करवा कर 2600- 2700 देते हैं और टोकने पर कहते हैं कि कम्प्युटर ने 2800 गलत छापा है।"

एस.पी.जे. कन्सलटेन्ट वरकर : " प्लॉट डी- 45 ओखला फेज- 1 स्थित फैक्ट्री में पीतल पॉलिश का काम होता है और दो मिनट देरी पर वापस भेज देते हैं। फैक्ट्री में मैनेजर गाली देता है। हैल्पर को 2000 और कारीगर को 2750 रुपये तनखा देते हैं। ओवर टाइम काम जबरन करवाते हैं – पहले भुगतान दुगनी दर से करते थे पर अब 1½ की रेट से करते हैं।"

अमन इन्टरप्राइजेज मजदूर : " प्लॉट बी- 243 ओखला फेज- 1 स्थित फैक्ट्री में ओनिडा, सलोरा, टी- सीरीज के टी.वी. ठेके पर बनते हैं। यहाँ काम करते स्थाई कारीगरों को हैल्पर ग्रेड देते हैं और कैजुअल वरकरों को 1300- 1400- 1500 रुपये महीना तनखा। कब निकाल दें पता नहीं – कोरे वाउचर पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा कर रखते हैं। बरसों से काम कर रहे कैजुअल हैं – हर तीन महीने ब्रेक कर देते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से – रात लगवाते हैं तब 20 रुपये भोजन के देते हैं।"

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

–दरारें–दरारें–दरारें–

नहीं चाहिये विकास

उड़ीसा में रायगडा-कोरापुट-कालाहाण्डी जिलों के काशीपुर-कल्याणसिंहपुर- लक्ष्मीपुर-लाँजीगडा ब्लॉकों में बड़ी सँख्या में लोग 12- 13 वर्ष से कम्पनियों-सरकार-राजनीतिक पार्टियों-एन जी ओ गिरोहबन्दी के नरम-गरम हथकण्डों का मुकाबला कर रहे हैं और खदान-फैक्ट्रियाँ नहीं बनने दे रहे।

■कभी घने जंगलों और सदाबहार झरनों वाले इस क्षेत्र में समुदाय रूपी समाज संगठन अब भी कुछ हद तक जीवन्त हैं। मण्डी- मुद्रा का इस क्षेत्र में जीवन पर कम ही असर है और ऐसी ही स्थिति सरकार की थी।

दिसम्बर 04- जनवरी 05 काशीपुर: पुलिस जाँच चौकियाँ, नियमित गिरफ्तारियाँ, पुलिस द्वारा लाठियाँ बरसाना, अर्ध- सैनिक बलों की बस्तियों में धमक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की धमकियाँ।

■ससंद ने कानून बना कर जंगलों को सरकार की सम्पत्ति घोषित किया। संरक्षक सरकार के संरक्षण में जंगलों का विनाश हुआ। रायगडा में स्थापित जे.के. पेपर मिल क्षेत्र के जंगलों के विनाश का मुख्य कारण बनी। लकड़ी ठेकेदार- वन विभाग अधिकारी- राजनेता गिरोह की लूट वन विनाश में सहभागी बनी।

लालच, जमाखोरी, मुनाफाखोरी से परहेज करती जीवन पद्धति शोषण के आड़े आती है। लोगों को अपनी जरूरतों से अधिक उत्पादन की इच्छा ही नहीं! उन्हें सरकार व मण्डी की कम ही आवश्यकता है पर सरकार व मण्डी जबरन उनके जीवन में घुस रही हैं।

■वन विनाश ने निवासियों के जीवन में सन्तुलन को निर्ममता से तोड़ा। भोजन के स्रोत बुरी तरह प्रभावित हुये – भोजन का अभाव आरम्भ हुआ। भूखमरी से मौतों पर सरकार- राजनेताओं- बुद्धिजीवियों ने आँसू बहाये और इस "पिछड़े" इलाके के "विकास" को उपचार प्रस्तुत किया। सड़क और रेलवे का निर्माण।

■इनका मकसद लोगों को 1993 में तब समझ में आया जब बड़ी- बड़ी कम्पनियाँ क्षेत्र में दाखिल हुई। इण्डाल, टाटा, हाइड्रो (नोर्वे), अल्कान (कनाडा), अल्युसुइस (स्विटरजरलैण्ड) का 2400 करोड़ रुपये का उत्कल अल्युमिना इन्टरनेशनल प्रोजेक्ट। लार्सन एण्ड टूब्रो और अलकोआ (अमरीका) का 1500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट। हिण्डालको प्रोजेक्ट। बाल्को– स्टरलाइट का 4500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जिसके लिये पैसे लन्दन सट्टा बाजार और मॉरिशस की ट्विनस्टार होल्डिंग से भी।

■कम्पनियाँ उन्हें बेदखल तो करेंगी ही, उनकी बची- खुची सामुदायिक जीवन्तता को भी नष्ट करेंगी – इस अहसास ने विरोध का रूप लिया।

(बाकी पेज दो पर)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।